445

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 अप्रैल, 1998 (वैशाख 3, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, गोविन्द मिश्रा, सदस्य, भोपाल के लोक निर्माण विभाग मण्डल क्रमांक-एक में मरम्मत कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही से एक बालक की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, राजधानी भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में पुनः होम्योपैथी चिकित्सालय प्रारंभ कराये जाने,

(2) श्री नेमीचन्द जैन, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम लसूड़िया घाट के पास कोलास नदी पर पुल बनाये जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल के विजयनगर चांदबड़ स्थित उप-कलारी को अन्यत्र हटाये जाने,

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम लूली के नून्हा टोला में बिजली लगाये जाने,

(5) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के विकास खण्ड लोहारा अन्तर्गत सुतिया पाट जलाशय (बांध) का निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने, एवं

(6) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम टिकुरी बड़खेरा-भनपुरा नं. 1 मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम शिवराजपुर से बड़का तालाब तथा ग्राम भनपुरा नं. 1 से खजूरी भनपुरा तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,
(ग) कटनी नगर से बड़खेरा भनपुरा नं.1 तक मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस चलाये जाने,
(घ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जबलपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने,
(ङ.) ग्राम मढ़िया पटना स्थित सन्त अभिलाष दास माध्यमिक शाला को प्रथम पोषक अनुदान दिलाये जाने,
(च) ग्राम देवरी के भूमिहीन निवासियों को आवासीय भूमि का पट्टा दिलाये जाने, तथा
(छ) ग्राम बिजौरी के बिजौरा टोला व नया टोला में बिजली लगाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 12 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. वर्ष 1998-99 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या 13	कृषि
		मांग संख्या 17	सहकारिता
		मांग संख्या 52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.
1 घन्टा 30 मि.	(2)	मांग संख्या 22	स्थानीय शासन विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 63	अल्प संख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 72	गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय
		मांग संख्या 81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या 83	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या 85	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.
2 घन्टे 30 मि.	(3)	मांग संख्या 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
		मांग संख्या 30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.
		मांग संख्या 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
		मांग संख्या 82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
		मांग संख्या 84	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या 86	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या 36	परिवहन.

भोपाल :
दिनांक : 22 अप्रैल, 1998

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा